संख्या-102/2017/2050/22-2-2016-17(103)/2011

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 13 फरवरी, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 शरीफ पुत्र श्री मो0 नवी, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38309/प्रोबेशन-3 (एम-13-10-2016) दिनांक-26-10-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-10-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 शरीफ पुत्र श्री मो0 नवी, निवासी खलीलशफी, थाना-कोतवाली, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भूमि के कब्जे को लेकर अपनी सौतेली मां इशरतजहां पर दिनांक 15-09-1978 को दोपहर लगभग 12:00 बजे चाकू से वार कर उनकी हत्या कर दी तथा बन्दी ने मोहल्ले के नन्हू खां की पत्नी नसीमबानों से अवैध सम्बन्ध में मो0 नवी व अन्य के विरोध पर 10 दिन पूर्व हुए झगड़े में दिनांक 09.03.1995 की रात्रि लगभग 02:00 बजे 01 सहअभियुक्ता (नसीमबानों) के साथ मिलकर मो0 नवी के मकान में आग लगा दी, जिसमें निगहत एवं फहमीदा की जलकर मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-643/1978 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 07-06-1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया तथा सत्र परीक्षण संख्या-814/1995 के अन्तर्गत् भा0द0वि0 की धारा 302,307,436 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट सं0-4, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 03.07.2003 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.10.2016 तक 28 वर्ष 02 माह 16 दिन की अपरिहार तथा 37 वर्ष 00 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर की अध्यक्षता में गठित समिति ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त प्रतीत नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने तथा बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा एवं आयु तथा स्वास्थ्य को देखते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भूमि के कब्जे को लेकर अपनी सौतेली मां इशरतजहां पर दिनांक 15-09-1978 को दोपहर लगभग 12:00 बजे चाकू से वार कर उनकी हत्या करने तथा नन्हू खां की पत्नी नसीमबानों से अवैध सम्बन्ध में मो0 नवी व अन्य के विरोध पर दिनांक 09.03.1995 की रात्रि लगभग 02:00 बजे 01 सहअभियुक्ता (नसीमबानों) के साथ मिलकर मो0 नवी के मकान में आग लगाने, जिसमें निगहत एवं फहमीदा की जलकर मृत्यु होने का जघन्यतम अपराध कारित किया है तथा इस तरह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु 73 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी मो0 शरीफ पुत्र श्री मो0 नवी, निवासी जनपद-शाहजहांपुर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका सं0-22288(एम0/बी0)/2016 में पारित आदेश दिनांक 16-09-2016 के अनुपालन तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मो0 शरीफ (बन्दी संख्या-38295) पुत्र श्री मो0 नवी, निवासी जनपद-शाहजहांहपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नही पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-102/2017/2050(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-शाहजहांपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-102/2017/2050@22-2-2016-17(103)/2011

दिनांक 13 फरवरी, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध बन्दी मो0 शरीफ (बन्दी संख्या-38295) पुत्र श्री मो0 नवी, निवासी खलीलशफी, थाना-कोतवाली, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भूमि के कब्जे को लेकर अपनी सौतेली मां इशरतजहां पर दिनांक 15-09-1978 को दोपहर लगभग 12:00 बजे चाकू से वार कर उनकी हत्या कर दी तथा बन्दी ने मोहल्ले के नन्हू खां की पत्नी नसीमबानों से अवैध सम्बन्ध में मो0 नवी व अन्य के विरोध पर 10 दिन पूर्व हुए झगडे में दिनांक 09.03.1995 की रात्रि लगभग 02:00 बजे 01 सहअभियुक्ता (नसीमबानों) के साथ मिलकर मो0 नवी के मकान में आग लगा दी, जिसमें निगहत एवं फहमीदा की जलकर मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-643/1978 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 07-06-1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया तथा सत्र परीक्षण संख्या-814/1995 के अन्तर्गत् भा0द0वि0 की धारा 302,307,436 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट सं0-4, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 03.07.2003 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.10.2016 तक 28 वर्ष 02 माह 16 दिन की अपरिहार तथा 37 वर्ष 00 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर की अध्यक्षता में गठित समिति ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त प्रतीत नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने तथा बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा एवं आयु तथा स्वास्थ्य को देखते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भूमि के कब्जे को लेकर अपनी सौतेली मां इशरतजहां पर दिनांक 15-09-1978 को दोपहर लगभग 12:00 बजे चाकू से वार कर उनकी हत्या करने तथा नन्हू खां की पत्नी नसीमबानों से अवैध सम्बन्ध में मो0 नवी व अन्य के विरोध पर दिनांक 09.03.1995 की रात्रि लगभग 02:00 बजे 01 सहअभियुक्ता (नसीमबानों) के साथ मिलकर मो0 नवी के मकान में आग लगाने, जिसमें निगहत एवं फहमीदा की जलकर मृत्यु होने का जघन्यतम अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु 73 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी मो0 शरीफ पुत्र श्री मो0 नवी, निवासी जनपद-शाहजहांपुर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in